संख्या-19 /2018/551/38-6-18-6(एसआरएलएम)/2014टीसी

प्रेषक,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक-29 अक्टूबर, 2018**

विषयः- डीडीयू-जीकेवाई के अन्तर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0-81 के अन्तगर्त अनुपूरक बजट के सापेक्ष केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्रांक-1952/एनआरएलएम/1109/2018-19, दि0-18.09.2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक-जे-1703/57/2013एसजीएसवाई द्वितीय(एस.पी.) पार्ट-1(5/सी), दि0-30.05.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत(एनआरएलएम) अनुदान सं0-81(एससीएसटी मद) में केन्द्रांश की धनराशि रू0-583.38 लाख(पांच करोड तिरासी लाख अडतीस हजार मात्र) अवमुक्त की गयी है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु अनुदान सं0-81 के अन्तर्गत रू0-25203.84 लाख अनुपूरक बजट की व्यवस्था की गई है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के पत्र दि0-20.08.2018 द्वारा फण्डिंग पैटर्न 90:10 के स्थान पर 60:40 संशोधित कर दिया गया है। इस प्रकार केन्द्रांश के रूप में 60 प्रतिशत रू0-583.38 लाख के सापेक्ष राज्यांश के रूप में 40 प्रतिशत धनराशि रू0-388.92 लाख बनती है।

2- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार द्वारा की गई अनुपूरक बजट व्यवस्था में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष भारत सरकार के पत्र दि0-30.05.2018 के माध्यम से अवमुक्त केन्द्रांश रू0-583.38 लाख को अवमुक्त कर आयुक्त ग्राम्य विकास के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) आंकडों की शुद्धता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है।

(2) धनराशि का व्यय योजना विषयक गाइडलाइन/दिशानिर्देश तथा राज्य सरकार के सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।

(3) धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।

(4) स्वीक़त की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दि0-30 मार्च, 2018 एवं संबंधित अन्य संगत शासनादेशों की शर्तों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) आगामी वित्तीय स्वीकृति के पूर्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा योजनान्तर्गत निर्गत की गयी धनराशियों का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-81 के लेखाशीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-796-जनजातिय उपक्षेत्र योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-(के.60/रा.40-के.+रा.)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय सं0-यू0ओ0-ई-2-1004/दस-2018, दि0-25.10.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह
अनु सचिव।

संख्या-19/2018/551(1)/38-6-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (स्किल डिवीजन), नई दिल्ली।
4- निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
7- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

Filename:	New DOCX File 5.docx
Directory:	C:\Users\DELL\Documents
Template:	C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:	
Subject:	
Author:	DELL
Keywords:	
Comments:	
Creation Date:	10/29/2018 11:39:00 AM
Change Number:	4
Last Saved On:	10/29/2018 11:48:00 AM
Last Saved By:	DELL
Total Editing Time:	9 Minutes
Last Printed On:	10/29/2018 11:49:00 AM

As of Last Complete Printing

Number of Pages:	2
Number of Words:	608 (approx.)
Number of Characters:	3,472 (approx.)